

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, "बी" विंग, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01015

दिनांक 17.08.2017

सेवा में,

श्रीमती उर्मिला देवी,

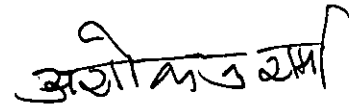
विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 08.08.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 14.08.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 156272) तथा दिनांक 16.08.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि अपने आवेदन के माध्यम से कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि एम0ए0सी0पी0 नहीं लगाने एवं 2,00,000/-रु0 मांगे जाने का उल्लेख किया है, जिस पर फिल्हाल केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्र सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के खिलाफ द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । अतः अनुरोध है कि आप जिस कार्यालय में कार्यरत हैं वहाँ आर.टी.आई. दाखिल कर सूचना प्राप्त करें । यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबोधित प्रपत्र के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,